

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 511]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2021—पौष 3, शक 1943

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2021

क्र. एफ-53-1-रा.स.-यू.ए.-5-2016.—नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 22(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपति जी ने उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के खण्ड (छ), (ख) एवं (ज) के अंतर्गत क्रमशः मध्यप्रदेश विधानसभा एवं राज्य शासन द्वारा नामनिर्देशित निम्नांकित व्यक्तियों को नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल में सदस्य मनोनीत करते हैं:—

धारा 22 (2) (छ) के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विधानसभा सदस्य:—

- (1) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय,
सदस्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 94,
बहोरीबंद, जिला कटनी,
मध्यप्रदेश विधायक विश्राम गृह,
नवीन पारिवारिक परिसर ब,
कमरा नं. 04 भोपाल.

धारा 22 (2) (ज) राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट कृषि का प्रतिनिधित्व करने वाले कृषि संबंधी मामलों से परिचित सदस्य :—

- (1) डॉ. जितेन्द्र सिंह यादव,
गल्लामण्डी के पास वार्ड क्रमांक 04,
जिला पन्ना (म. प्र.)
- (2) श्री हिम्मत सिंह पटेल,
ग्राम सुस्तीखेड़ा,
जिला बड़वानी (म. प्र.).

धारा 22 (2) (ख) राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रगतिशील पशुधन कृषक:—

- (1) डॉ. सुधीर यादव,
1479 कमला नेहरू नगर,
गढ़ा रोड, जबलपुर.
- (2) श्री महेन्द्र सिंह,
26, रेड स्क्वायर,
जाटखेड़ी होशंगाबाद रोड, भोपाल.

कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
मनोज खत्री, राज्यपाल के अपर सचिव.